FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मुक्तिलाल बनाम जगदीश प्रसाद वगै0

2025/78

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 47 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

रीख म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-03-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 127, 128, 142, 148, 149, 150, 151 कुल किता 07 कुल रकबा 2.68 हैक्ट. राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा <u>प्रार्थी/प्रार्थीगण</u> से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.04.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

तारीख हुक्म	
04/04/2025 प्रतिवादी नं. 1	प्रार्थी कालूराम पुत्र गोरूराम सैनी निवासी ढाणी जोहडी वाली तन डेहरा जोहड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। प्रार्थी कालूराम ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा ने वादपत्र मुकदमा कालू बनाम अंकित वगै0 दिनांक 20.03.2025 को अंतिम डिक्री किया था। न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्थगनादेश पारित करने से वादपत्र कालू बनाम अंकित में जारी डिक्री की पालना नहीं करवायी जा सकी हैं। अतः वादपत्र कालू बनाम अंकित में जारी डिक्री की पालना करवायी जाने की कृपा करें। प्रार्थी कालूराम के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी मुक्तिलाल व वकिल प्रार्थी (प्रार्थना पत्र टी.आई.) ने अनापत्ति दर्ज करवायी। अतः प्रार्थी मुक्तिलाल व वकिल प्रार्थी (प्रार्थना पत्र टी.आई.) की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थी कालूराम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र कालू बनाम अंकित वगै0 मु.सं. 194/2024 में पारित अन्तिम डिक्री की पालना की हद तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांकित 11.03.2025 से मुक्त किया जाता हैं। शेष स्थगनादेश यथावत रहेगा। पत्रावली पूर्व नियत पेशी दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।
15/04/2025	वजुलाय उप0 अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 की ओर जवाब T.I. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 की ओर से प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति पेश किया गया जो शामिल मिसल कर वकील प्रतिपक्ष को नकल दिलवायी गयी। वास्ते बहसजार तामील शेष अप्रार्थीगण एवं पेश होने जवाब प्रा0 पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत निर्माण स्वीकृति मिसल दिनांक 05/05/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/5/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 11.06.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
11/6/25	वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी (प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति) ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति स्वीकार कर प्रार्थी को अपने कब्जे की भूमि में निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। वकील प्रतिपक्ष ने जवाब प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति, जवाब प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी (प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति) वादग्रस्त आराजी में नया निर्माण कर रहा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में
	~~हैं। प्रा0 पत्र टी0 आई0 से संबंधित मूल वादपत्र~~ विभाजन का हैं। विभाजन के वादपत्र में प्रार्थी (प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति) को निर्माण की स्वीकृति दिये जाने से पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं जिससे वादपत्र में चाहा गया अनुतोष पक्षकारान को दिया जाना संभव नही होगा एवं प्रा0 पत्र टी0 आई0 में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र बाबत निर्माण स्वीकृति खारिज किया जाता हैं। वास्ते बईन्तजार तामील शेष अप्रार्थीगण मिसल दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।	
	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज अदालती कार्य से विरत रहे। रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य से विरत रहे। रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश हो।	
10/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थी की ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल वादपत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 127, 128, 142, 148 ता 151 कुल किता 07 कुल रकबा 2.68 है0 तन ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना का बेचान नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।	